(68)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO. E(NG)I-80-TR-28 New Delhi, dated 31-12-1981.

The General Managers,
All Indian Railways
C.L.W., D.L.W. & I.C.F..

The Director General,
R.D.S.O.,
Lucknow.

Subject : Periodical transfer/Rotation of non-gazetted staff.

Reference Railway Board's letters NO. E(NG)II/78/TR/85 dated 27-4-1979 and NO. E(NG)II/78/TR/82 dated 7-2-1980 and NO. E(NG)I-80-TR-28 dated 22-8-1980 on the above subject, laying down the principles governing the periodical transfer of station staff and staff working in sensitive jobs in all departments of Railways including rotational shifting of clerks from Desk to Desk.

2. Ministry of Railways desire that the sensitive posts for rotational purposes on the Zonal Railways should be defined by the General Managers and the list of such sensitive posts sent to them at an early date. If it is possible to transfer them at the same stations, the same should be arranged, otherwise, the staff on such sensitive posts may be transferred to other stations.

DA|NIL

(D.D.AGGARWAL)
JOINT DIRECTOR ESTABLISHMENT
RAILWAY BOARD

NO. E(NG)I-80-TR-28 New Delhi, dated 31-12-1981.

Copy(With 25 spares) to:-

(i) General Secretary, A.I.R.F., New Delhi.

(ii) General Secretary, N.F.I.R., New Delhi.

FOR SECRETARY, RAILWAY BOARD

copy to E(RB)II, E(D)III, Sec.E., Sec(ABE), V(SS) (with 5 spares) and Vig. IV(With 5 spares)

Copy to E(LR)I with 10 spares.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० ई(एन जी)।-80 टी आर/28 नयी दिल्ली, दिनांक: 31-12-1981

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें,
चि रे का, डी रे का तथा स डि का ।

महानिदेशक,
अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ ।

विषय:- अराजपत्रित कर्मचारियों का आवधिक स्थानान्तरण/क्रमानुक्रम स्थानान्तरण ।

उपर्युक्त विषय पर, रेलवे बोर्ड का 27-4-1979 का पत्र सं० ई (एन जी)।।/78/टी आर/85 और 7-2-1980 का पत्र सं० ई (एन जी) ।।-78 टी आर /82 और 22-8-1980 का पत्र सं० ई (एन जी)।-80 टीआर/78 देखें जिसमें लिपिकों के एक सीट से दूसरी सीट पर क्रमानुक्रम स्थानान्तरण सहित स्टेशन कर्मचारियों तथा रेलों के सभी विभागों में संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के आवधिक स्थानान्तरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्त दिये गये हैं ।

2. रेल मंत्रालय चाहता है कि क्षेत्रीय रेलों पर क्रमानुक्रम प्रयोजनों के लिए संवेदनशील पदों को महाप्रबन्धकों द्वारा परिभाषित किया जाये और ऐसे संवेदनशील पदों की सूची अविलम्ब भेजी जाये । यदि उन्हें उन्हीं स्टेशनों पर भेजना संभव हो तो उसकी व्यवस्था की जाये, अन्यथा ऐसे संवेदनशील पदों के कर्मचारियों को अन्य स्टेशनों पर स्थानान्तरित किया जाये ।

(डी० डी० अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक (स्था), रेलवे बोर्ड

संलग्न: कुछ नहीं
सं० ई(एन जी)। 80 टी आर -28 नयी दिल्ली, दिनांक: 31-12-1981

प्रतिलिपि (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित):

1. जनरल सेक्रेटरी, ए आई आर एफ, नयी दिल्ली ।
2. जनरल सेक्रेटरी, एन एफ आई आर, नयी दिल्ली ।

एच-पंचायदेव
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।

प्रतिलिपि:- ई आर बी ।।, ई(ओ)।।।, सिक (ई), सिक (ए पी ई), सतर्कता (एस एस) (5 अतिरिक्त प्रतियां) और सतर्कता ।।/(5 अतिरिक्त प्रतियां) ई (एन आर)।। को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।